



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/5/2025-ADMN

कार्यालय आदेश सं. : 15/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

श्री ऋषि यादव, अपर आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, अलवर के तमिलनाडु विधानसभा आम चुनाव-2026 में व्यय पर्यवेक्षक के रूप में दिनांक 29.05.2026 से चुनाव ड्यूटी पर रहने के दौरान, श्री रोशन लाल, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, उदयपुर को उनके नियमित कार्यभार के साथ अपर/ संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, अलवर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर की स्वीकृति से जारी किए जा रहे हैं।

(अनुपमा सक्सेना)
सहायक आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., उदयपुर, अलवर।
2. अवर सचिव (Ad.II), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
3. श्री ऋषि यादव, अपर आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., अलवर।
4. श्री रोशन लाल, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., उदयपुर।
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर : @CGSTJAIPURZONE